राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

निविदा प्रपत्र

(भोजन, चाय-नाश्ता)



निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय 04.01.2025 दोपहर 12:00 बजे तक निविदा खोलने की दिनांक व समय 04.01.2025 दोपहर 01:00 बजे तक

मूल्य - 1000 / - रूपये



राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय,अलवर

(स्थाई कार्यालय : प्रशासनिक भवन—हल्दीना, तह0— मालाखेडा,जिला — अलवर (राज0)) ■ Phone : 0144-2730321, 2730327, 2980846 FAX : 0144-2730321, PIN Code-301486

क्रमांक : राऋभमवि/अल/ सामान्य प्रशासन /2024/2588

दिनांक : 27 12 2024.

ऑफलाईन निविदा सूचना - 13/2024-25

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर द्वारा विश्वविद्यालय विभिन्न कार्यक्रमों एवं आयोजन हेतु भोजन, जलपान, चाय —नाश्ता व सेवा की आपूर्ति एवं व्यवस्था करने हेतु विभिन्न केटर्स/फर्म से मुहरबंद (वार्षिक दर संविदा) निविदाए निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है:—

District	Name of Work Package Nos	Estimated Cost Of work (in Laks)	Earnest Money	Last date for bid Submission on SPPP
1	2	3	4	5
Alwar	Supply and arrangement of foods material in Various Programmes Conducted by RRBMU at Haldina Campus, Alwar	6.00 Lakh	Rs. 12000	04-01-2025 12:00 PM

- The Sale of tender document will start from 27-12-2024.
- Tender document can be obtained up to 11:00 AM on 04-01-2025 from Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Haldina, Alwar.
- Tender will be received upto 12:00 PM and on 04-01-2025 at RRBMU, Haldina, Alwarv and will open at 01:00 PM in presence of tenders on date 04-01-2025.
- Tender cost Rs. 1000 and earnest money Rs. 12000 will be accepted in form DD/Banker Cheque in favour of Registrar, RRBMU, Alwar.
- 5. Competent authority reserve the right to cancel any tender without any reason.
- Performance Security at 5% will be deposited by bidder before work order as per RTPP Rules.
- 7. RTPP Act, 2012 and RTPP Rule 2013 will be applicable on tender

Registrar RRBMU,

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर द्वारा विश्वविद्यालय विभिन्न कार्यक्रमों एवं आयोजन हेतु भोजन, जलपान, चाय —नाश्ता व सेवा की आपूर्ति एवं व्यवस्था करने हेतु विभिन्न केटर्स/फर्म से मुहरबंद (वार्षिक दर संविदा) निविदाए निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है

क्र. सं.	आईटम	मैन्यू	मात्रा	बेसिक दर प्रति यूनिट/ प्रतिकिलो सभी करों/जी.एस. टी. रहित	दर प्रति यूनिट / सभी करों / जी.एस. टी. सहित
1	3	4	5	6	7
1	हाई-टी	ढ़ोकला, सेण्डविच इन ब्राउन ब्रेड, केाफता / समोसा, ईमरती, वेफर्स व सनेक्स			
	नाश्ता	टी			
		समोसा मय चटनी			
2		ब्रेड पकौड़ा			
		बिस्किट 50 ग्राम पैकेट			
3	लंच	सिजनल वेज, कड़ाई पनीर, दाल मिक्स, राईस—जीरा, पुलाव, बुंदी रायता, मलाई कोफता, मिक्स वेज, दाल मखानी, गाजर का हलवा, मिश्री मावा, दही बड़ा, तन्दूर — थ्री टाईप्स व तवा रोटी			
4		नारियल पानी			
	मिठाई बनवाई मय पेकिंग की दरें प्रतिकिली		आदेशानुसार	(मैन्यू सूची में से)	
		मोतीचूर लड्डू			
		केसर मावा बर्फी			
5		काजू कतली			
		रसगुल्ला			
		गाजर का हलवा			
		जलेबी			
		ईमरती			
+		नमकीन		(मैन्यू र	रूची में से)
6		बनवाई मय पेकिंग की दरें प्रति यूनिट			
		दाल पकोड़ी			
		खमण डोकला	1 1		
	1	पनीर पकौड़ा			
		पोहा	1 /		

नोट :- 1. सभी हलवाई कार्य में हरी चटनी, मीठी, चटनी भी बनानी होगी

2. आईटम दरें जीएसटी सहित ही मान्य होगी, जीएसटी सहित दरें न दिये जाने पर उन्हें जीएसटी सहित ही समझा जावेगा।



राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय,अलवर

(स्थाई कार्यालय : प्रशासनिक भवन—हल्दीना, तह0— मालाखंडा,जिला — अलवर (राज०)) ■ Phone : 0144-2730321, 2730327, 2980046 FAX : 0144-2730321, PIN Code-301406

क्रमांक : राऋभमवि/अल/सामान्य प्रशासन/2024/2588

दिनांक : 27 12 12024.

भोजन / चाय-नाश्ता	व्यवस्था	के लिए	तकनीकी	प्रस्ताव	UUA
-------------------	----------	--------	--------	----------	-----

1	निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम
	निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम :
	डाक का पता मय फोन नम्बरव
2.	आयकर पंजियन संख्या (PAN Card. प्रति संलग्न करे) : —
3.	निविदादाता का Tin No/GST No (प्रति संलग्न करे)
4.	खाद्य अनुज्ञापत्र (Food Licence) संख्या (प्रमाण पत्र प्रति संलग्न करे):—
5.	निविदा सूचना का सन्दर्भ—क्रमांकः / 2024—25 / दिनांक
6.	भोजन व्यवस्था सम्बन्धि कार्यो का अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करे)
7.	निविदा शुल्क की राशि रूपये 1000 / – डीडी संख्यादिनांकके द्वारा जमा
	करा दी गई है। रजिस्ट्रार, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, हल्दीना, अलवर।
8.	धरोहर राशि का बैंकर्स चैक / डी.डी. संख्या दिनांक
	संलग्न किया जाता है। रजिस्ट्रार, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, हल्दीना, अलवर।
9.	फर्म को ब्लेक लिस्टेड नही होने के सम्बन्ध में 50 रू0 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर
	अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी।
10.	हम कार्यालय राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, हल्दीना, अलवर द्वारा जारी की गयी
	निविदा सूचना में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त निविदा सूचना की
	अतिरिक्त शर्तो से सहमत होना स्वीकार करते है। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित
	शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है।

- फर्म द्वारा आदेश देने के तत्काल बाद निर्धारित अविध में आवश्यकता अनुसार भोजन एवं चाय नाश्ता की व्यवस्था चाहे गये स्थान पर करनी होगी।
- 12. उद्धत की गयी दरें निविदा अनुमोदन से 01 वर्ष तक के लिए विधिमान्य है। इस अविध को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा।
- 13. मैं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 नियम 2013 तथा जारी राजकीय आदेशों की पूर्ण पालना करने हेतु बाध्य रहूँगा चाहे उसकी पूर्ण शर्तें बिड प्रपत्र में अंकित की गयी है अथवा नहीं की गयी है।

निविदाकार के हस्ताक्षर (नाम) फर्म का पता

And

भोजन व्यवस्था हेतु सीमित निविदा की शर्ते

टिप्पणी : निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए तथा निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

- 1. निविदा प्रपत्र के सेट के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर अंकित करें जो कि आपके द्वारा निविदा की सभी शर्तों को स्वीकार किए जाने को दर्शायेगा। किसी पृष्ठ पर हस्तारक्षर न करने की स्थिति में प्रस्तुत निविदा को तुलना में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
- 2. निविदादाता को करार निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगे।
 - A. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति।
 - यदि भागीदारी फर्म रिजस्ट्रार ऑफ फर्मस् के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
 - C. एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नं.।
 - D. कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
- अ) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना विकेता अधिकारी को लिखित में निविदादाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन में संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं माना जायेगा।
 - (ब) संविदा के संबंध में फर्म किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं केता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। ठेकेदार या उसके किसी भी भागीदार, जो बाद में स्वीकार कर लिया गया है, की रसीद ठेकेदार फर्म के समस्त भागीदारों को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त उन्मुक्ति (डिसचार्ज) होगी।
- 4. खाद्य अनुज्ञापत्र:— कोई भी प्रदायक (Supplier) जिसके पास खाद्य अनुज्ञापत्र (Food Licence) नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। खाद्य अनुज्ञापत्र संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा प्रतिलिपी भी सलंग्न करना आवश्यक होगा।
- निविदा दाता फर्म राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत
 रिजस्टर होने चाहिए। प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।
- 6. केवल उन्हीं निविदाओं पर विचार किया जा सकेगा जो कि :— निर्धारित निविदा फार्म में ठीक से भरकर प्रस्तुत की गई होगी, और निर्धारित अमानत राशि रु.(Earnest Money) के बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैंक (जो कि रिजस्ट्रार, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के नाम से बना हों) के साथ जमा कराई गई हो। अन्य माध्यम मान्य नहीं होगा। निविदाएं दिनांक 04.01.2025 को दोपहर 12.00 बजे तक रिजस्ट्रार, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए।

A

- (अ) निविदा में दरें या तो स्याही से पठनीय रूप से भरी जाय या टाइप की जाय। पैन्सिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा निविदा फार्म में कोई परिवर्तन न करें। दरों में एवं आवश्यक सूचनाओं में कॉट छॉट न करें। यदि कहीं / किसी में काट छॉट आवश्यक हो तो अलग से स्पष्ट रूप से अंकित करें एवं कटिग पर लघु हस्ताक्षर करें दरें शब्दों व अंकों दोनों में व्यक्त / अंकित करें।
- 8. प्राप्त निविदाए उपस्थित निविदादाताओं / उनके प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 04.01.2025 की सांय 01:00 बजे खोली जाएगी।
- 9. कार्यालय द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा (कार्टेज) या परिवहन प्रभारों का भुगतान नहीं किया जाएगा तथा निविदादाता को अपने स्वयं की लागत पर वांछित स्थल पर वर्किंग स्थल पर वर्किंग लंच की व्यवस्था करनी होगी।
- 10. सशर्त संविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 11. बोली मोहर बंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।
- 12. विधि मान्यता :- निविदायें (दर संविदा) 01 वर्ष तक की अवधि के लिए विधिमान्य होगी। इस अविध को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।
- 13. निविदादाता के लिए यह समझा जायेगा कि उसने उपलब्ध कराये जाने वाले नाश्ता / लंच की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है निविदादाता को उच्च क्वालिटी की सामग्री भोजन बनाने में प्रयुक्त करनी होगी।
- 14. संविदाकार अपनी संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेगा या उपभाड़े (Sub let) पर नहीं देगा।
- 15. विशेष विवरण :-
 - भोजन बनाने / परोसने / खाना खाने के बर्तनों की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी।
 - सभी प्रकार के बर्तनों, रसोई की साफ सफाई की व्यवस्था निविदादाता को करवानी होगी।
 - सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ उच्च गुणवत्ता के तथा स्वच्छ होने चाहिए।
 - अनुबंध की शर्तों की पालना नहीं किये जाने पर संविदाकर्त्ता को ब्लेक लिस्ट किया जा सकेगा तथा भोजन व्यवस्था हेतु दूसरे ठेकेदार से व्यवस्था करवाई जाने पर तथा अधिक भुगतान व अन्य खर्चे की पूर्ति पूल संविदाकर्त्ता से वसूली योग्य होगी तथा उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
 - (अ)मात्रा की सीमा :- यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा पुनः आदेश (Repeat Prders) भी निविदा में दी गई शर्तो पर दिए जा सकेगें, पंरतु शर्त यह है कि ऐसे पुनरादेश पूल रूप में खरीदी गई मात्रा की 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिए

ही होंगे। यदि निविदादाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता हैं तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी निविदादाता से वसूली की जाएगी।

- (ब) यदि क्रेता अधिकारी निविदा सूचना में निर्दिष्ट मात्रा से कम के लिये आदेश देता है या बिल्कुल आदेश नहीं देता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का कलेम करने का अधिकारी नहीं होगा।
- 16. अमानत राशि का समर्पण (Forfeiture) :- अमानत राशि को निम्न लिखित मामलों में समपहृत (Forfeit) कर लिया जा सकता है।
 - (अ) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापिस लेता है या उसमें उपान्तरण (Modification) करता है।
 - (ब) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को निष्पादित नहीं करता हो।
 - (स) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभृति राशि जमा नहीं कराता हों।
 - (द) जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार सामग्री की सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता हों।
- 17. 1. प्रतिभूति निक्षेप का समयहरण :- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगा -
 - (अ) जब संविदा की शर्तों का उल्लघंन किया गया हो।
 - (ब) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई संतोषजनक ढ़ंग से करने में असफल रहा हो।
 - (स) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
 - 2. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा केता को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रति निःशुल्क दी जायेगी।
- 18. अमानत राशि (Earnest Money):-
 - (अ) निविदा के साथ निविदा सूचना में अंकित अमानत राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि रिजस्ट्रार, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैकर्स चैंक में जमा कराई जानी चाहिए।
 - (ब) अमानत राशि का प्रतिदाय (Refund of Earnest Money) असफल निविदादाता की अमानत राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशीघ्र लौटाई जायेगी।
 - (स) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रदद् की गई या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग / कार्यालय के पास जमा अमानत राशि / प्रतिभूति निक्षेप को नई निविदाओं के लिए अमानत राशि / प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा यदि निविदाओं को पुनः आमन्त्रित किया जाता है तो अमानत राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।
 - 19. भुगतान योग्य राशि में से नियमानुसार राशि आयकर एवं जीएसटी टीडीएस के रूप में कटौती की जायेगी। भुगतान के समय लागू अन्य नियमों के अनुसार करों की कटौती की जावेगी।

- 20. (द) वसूलियां :- कम सप्लाई, टूट फूट, रदद की गयी वस्तुओं के लिए वसूली सामान्य रूप से बिल में से की जायेगी। कम सप्लाई, टूट फूट, रदद किये गये मालों के मूल्य की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढ़ग से कार्य नहीं करता है तो निविदादाता की प्रतिभूति राशि जब्त करली जावेगी तथा निविदादाता की रिस्क और लागत पर कार्य अन्य एजेन्सी/स्थानीय बाजार से करा लिया जायेगा तथा वसूली ठेकेदार की देय राशि में से कर ली जावेगी। यदि वसूली देय राशि में से करना संभव न हो तो राजस्थान में प्रवृत किसी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
- 21. उपरोक्त शर्ते हमे स्वीकार हैं प्रमाण स्वरुप हस्ताक्षर कर दिये गये है।
- 22. निविदाता द्वारा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग—अलग लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।
- 23. व्यवस्था स्थल पर निविदादाता के कार्य करने वाल मजदुरों, हेल्पर वाले व्यक्तियों के साथ किसी भी घटना, दुर्घटना होने पर समस्त हर्जे— खर्चे की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
- 24. उपरोक्त के अतिरिक्त GF&AR एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 में निविदा संबंधि प्रावधानों एवं शर्तों की निविदादाता को पालना करनी होगी।
- 25. तकनीकी निविदा में सफल निविदा दाता की ही वित्तीय निविदा उसी दिन खोली जायेगी, यदि किसी कारण से निविदा उसी दिन नहीं खोली जाती है तो अगली दिनांक की सूचना सभी सफल तकनीकी निविदादाताओं को पृथक से दी जावेगी।
- 26. एक से अधिक बोली दाताओं द्वारा न्यूनतम दर एक समान दी जाती है तो फर्म का चयन अनुभव के आधार पर किया जावेगा।

नोट— 1. सभी आईटम दरों के कुल राशि के आधार पर निविदादाता फर्म / कैटर्स का चयन किया जायेगा।

2. आपूर्तिकर्ता को खाद्य सामग्री समस्त व्यवस्था यथा पानी गिलास, चाय गिलास, पानी के कैम्पर, पानी की बोतल, टिश्यू पेपर, पर्याप्त टैण्ट, परोसना, के साथ था कैटरिंग की व्यवस्था, बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सियों की व्यवस्था/सर्विस स्वयं को करनी होगी, तथा इनके लिए अलग से कोई पेमेन्ट नही किया जायेगा ।

3. खाने में ताजा फल, सब्जी का उपयोग किया जावेगा तथा तेल, देशी घी एवं अन्य खाद्य सामग्री FASSAI मानको के अनुरूप प्रयुक्त करना आवश्यक होगा।

4. Bidding firm should have average annual turnover of minimum 20 lacs per aanum during the last three financial year.

And

-:निविदादाता द्वारा घोषणा:-

(50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

मैं / हम घोषणा करता हूँ / करते हैं कि मैनें / हमनें जिस सामग्री कार्य की आपूर्ति का कार्य जहाँ कहीं भी किया है, उस कार्य हेतु विगत 3 वर्षों में कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने अथवा अन्य किसी कारण से हमें किसी भी सरकारी विभाग / उपक्रम / कम्पनी / बैंक द्वारा ब्लेकिलस्ट नहीं किया गया है एव ना ही दिवालिया घोषित किया गया है।

मैं / हम यह घोषणा करते हैं कि किसी भी न्यायालय में हमारी संस्था के कार्य के संदर्भ में कोई वाद लिम्बत नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

दिनांक

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील फर्म का नाम मय पूर्ण पता

AM

बोली / निविदा दाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

बोली की समस्त जानकारी/शर्तों को मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रिजस्टर्ड है वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा "अधिनियम" की धारा 46 एवं "नियम" के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से पात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी / हमारी बोली प्रतिभूति / एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहरण किया जा सकेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है रदद किया जा सकेगा।

स्थान :-दिनांक : -

निविदादाता का नाम व हस्ताक्षर मय सील



Annexure A: Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest.

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation:
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any correction including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) Disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;
- a. Have controlling partners/shareholders in common; or
- b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. Have the same legal representative for purpose of the Bid, or
- d. Have the relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access have to information about or influence on the bid of another Bidder, or influence the decision of the procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Service that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date:

Place:

Signature of bidder

Name:

Designation:

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications Declaration by the Bidder

 I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Biding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the State

Government or any local authority as specification in the Bidding Document;

3. I/We have are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administrated by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;

4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conducted or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;

5. I/We do not have a conflict of interest as specification in the Act, Rules and the bidding

Document, which material affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:



Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and the address of the first Appellate Authority is Hon'ble Vice-Chancellor,

The designation and the address of the Second Appellate Authority is Finance Committee, RAJ RISHI BHARTRIHARI MATSYA UNIVERSITY, ALWAR.

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the act or the rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he

Providing that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filled only by a Bidder who has participated in procurement proceeding:

Providing further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(1) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(2) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidder Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(3) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(4) Form of Appeal

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(5) Fee for Filling Appeal

- (a) Fee for first appeal shall be two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.



(6) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issued notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date of fix hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
- (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter. (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public

Date:	
Place:	Signature of bidder
Tidee.	Name:
	Designation:
	Address:



Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

- Provided that a Financial Bid is substantially responsive, that Procuring Entity will correct arithmetical If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quality, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion in the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit ii.
- If there is a error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and iii.
- If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case in the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accepted the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Deceleration shall be

2. Procuring Entity's Right to very Quantities.

- At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or other terms & conditions of the Bid and the conditions of contract.
- If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than (ii) the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a (iii) repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fail to do so, the Procurement Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among one than more Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured fro the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Date:

Place:

Signature of bidder Name: Designation: Address: